प्रेस नोट
दिनांक 09.04.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के पर्यवेक्षण में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–239/2026 धारा 303(2),317(2) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त– फैज अली उर्फ जग्गू पुत्र अकबाल निवासी काशीराम कालोनी महाराजगंज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को खैरा भवानी मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 18.03.2026 को अवर अभियन्ता विनोद कुमार गौतम 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र चन्दवतपुर, गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि ग्रामसभा जगदीशपुर, निकट मंगलम गैस एजेंसी के पास स्थित 33 केवी सुभागपुर लाइन से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लगभग 1000 मीटर (दो स्पैन) विद्युत तार चोरी कर लिया गया है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 09.04.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए शातिर चोर– फैज अली उर्फ जग्गू पुत्र अकबाल निवासी काशीराम कालोनी महाराजगंज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को खैरा भवानी मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. फैज अली उर्फ जग्गू पुत्र अकबाल निवासी काशीराम कालोनी महाराजगंज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–239/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 1200 रू0 नकद।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अंकित सिंह, चौकी प्रभारी मिश्रीलिया
02. हे0का0 सभाजीत
03. का0 अमित तोमर

मीडिया सेल, गोण्डा।